No. 22-01/2021-PO Government of India Ministry of Communications Department of Posts (PO Division)

Dak Bhawan, Sansad Marg New Delhi-110001.

Dated: HJune, 2021

To

All CPMsG/All PMsG CGM, BD Dte/ Parcel Dte./PLI Dte/ CEPT Director RAKNPA/ Directors, All PTCs Addl. Director General, APS, New Delhi All GMs (Finance)/ DAPs

Subject: Fixing a timeline for registration of publications as Registered Newspapers (for new registration and renewal) and issuance of without Prepayment (WPP) License to RNPs- reg.

This is regarding fixing a timeline for ensuring registration of publication (newspapers or magazines) for the cases of new registration as well as renewal of Registered Newspapers (RNPs) and issuance of without prepayment (WPP) license to the RNPs.

- 2. As of now, there is no prescribed time limit for registration of the RNPs. Therefore, the processes of registering and renewing the registration of publication take different time in different circles to complete. Hence, to bring uniformity, clarity and promoting ease of doing business pan-India, it has been decided to introduce a time line for fresh registration and also for renewal of registration of publication as RNP as mentioned in the next point.
- 3. A) In the view of above presented points, it has been decided to fix the number of days for completing all the procedural formalities from submitting the application form to appropriate authority till registration/ renewal of the publication as Registered Newspaper as follows:

S.No.	Type	No. of days within which registration/ renewal of RNP should be completed*
1.	For New Registration	30 Days from the receipt of application form in Divisional office
2.	For Renewal	15 Days from the receipt of application form in Divisional office

<sup>\*</sup>Provided all the formalities are duly completed by the proprietor/ the publisher or the manager of the newspaper and submitted the application form along with updated and valid documents to the competent authority.

B) Also, for issuing <u>without pre-payment (WPP) License number</u>, the application is first submitted in Divisional Office with complete formalities as mentioned in Clause 144 of P.O. Guide Part I. Thereafter, Divisional Office will forward the complete case to Circle Office/ Region Office for issuing the WPP license. The valid license for posting of a newspaper without prepayment of postage is to be issued by Pr. CPMG/ CPMG/ PMG.

S.No.	Туре	No. of days within which WPP License should be issued**
1.	For New WPP License	30 days from the receipt of application in Divisional Office till issuance of License by Circle Office/ Region Office.
2.		15 days from the receipt of application in Divisional Office till issuance of License by Circle Office/ Region Office

<sup>\*\*</sup>Provided all the formalities are duly completed by the proprietor/ the publisher or the manager of the newspaper and submitted the application form along with updated and valid documents to the competent authority.

## These timelines <u>shall not be</u> applicable in exceptional circumstances for example in situations of pandemic, calamity or "force majeure" events etc. in a part of India or whole of India.

- 4. Also, it is pertinent to mention that the competent authority should take a call to accept or reject the application seeking registration/ renewal/ WPP license within the prescribed number of days mentioned above in para 3. In case of rejection, intimation has to be given to the publisher/ the manager of the publication along with the reason for rejection.
- 5. These instructions should be brought to the notice of all the concerned officer/officials and the publishers of all the registered newspapers registered in the Circles.
- 6. The order shall come into effect from **01.07.2021**.

7. This issues with the approval of the competent authority.

(Sukriti Gupta)
Assistant Director General (PO)

Phone: 011 23096005

e-Mail: adgpo@indiapost.gov.in

## Copy to:

- 1. PSO to Secretary (Posts)
- Sr.PPS to Director General Postal Services

## File No.22-01/2021-PO

- PPS/ PS to Addl. DG (Co-ordination)/ Member (Banking)/ Member (O)/ Member (P)/ Member (Planning & HRD)/ Member (PLI)/ Member (Tech)
- 4. Additional Secretary & Financial Adviser
- 5. Sr. Deputy Director General (Vigilance) & CVO / Sr. Deputy Director General (PAF)
- 6. Director General, P&T (Audit), Civil Lines, New Delhi
- 7. Secretary, Postal Services Board/ All Deputy Directors General
- 8. Chief Engineer (Civil), Postal Directorate
- 9. CGM, CEPT for uploading the order on the India Post website.
- 10. Sh. Paras, ASO, PO Division for keeping in file of Regulatory Compliance Portal by DPIIT
- 11. Guard File
- 12. Spare copies.

सं. 22-01/2021 -पीओ भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग (पीओ डिवीजन)

> डाक भवन , संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

दिनांक: |4 जून 2021

प्रति,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/ पोस्टमास्टर जनरल, मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास निदेशालय/ पार्सल निदेशालय/ डाक जीवन बीमा निदेशालय/ सीईपीटी, निदेशक, आरएकेएनपीए/ सभी डाक प्रशिक्षण केन्द्र सभी महाप्रबंधक (वित्त)/ डीएपी

विषय: पंजीकृत समाचार पत्रों के रूप में प्रकाशनों के पंजीकरण (नए पंजीकरण और नवीनीकरण) और आरएनपी को बिना पूर्व भुगतान (डब्ल्यूपीपी) लाइसेंस जारी करने के लिए समय सीमा तय करने संबंधी।

ये अनुदेश, प्रकाशनों (समाचार पत्रों या पत्रिकाओं) के नए पंजीकरण एवं पंजीकृत समाचार पत्रों (आरएनपी) के नवीनीकरण तथा आरएनपी को बिना पूर्व भुगतान (डब्ल्यूपीपी) लाइसेंस जारी करने के मामलों के समय से निपटान सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा तय करने के संबंध में हैं।

2. अभी तक, आरएनपी के पंजीकरण के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। इसलिए, प्रकाशनों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को पूरा करने में अलग-अलग मंडलों में अलग-अलग समय लगता है। इसलिए, पूरे भारत में इस प्रक्रिया में एकरूपता एवं स्पष्टता लाने और व्यापार करने में अधिक सुविधा हो, इसके लिए प्रकाशन के आरएनपी के रूप में नए पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि अगले बिंदु में उल्लिखित है।

3. क) उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि आवेदन पत्र को सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने से लेकर पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में प्रकाशनों के पंजीकरण/नवीकरण तक सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाए :

क्रम सं.	आवेदन का प्रकार	दिनों की संख्या, जिनके भीतर आरएनपी का पंजीकरण/नवीकरण पूरा किया जाए*
1.	नए पंजीकरण के लिए	डिवीजन कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद 30 दिन
2.	नवीनीकरण के लिए	डिवीजन कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद 15 दिन

<sup>\*</sup> बशर्ते सभी औपचारिकताएं समाचार पत्र के मालिक/प्रकाशक या प्रबंधक द्वारा विधिवत पूरी की गई हों और सक्षम प्राधिकारी को अद्यतन और वैध दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा किया गया हो ।

ख) साथ ही, <u>बिना पूर्व भुगतान (डब्ल्यूपीपी) लाइसेंस संख्या</u> जारी करने हेतु आवेदन डाक प्रचालन गाइड, भाग-। की धारा 144 में उल्लिखित सभी औपचारिकताएं पूरी करके पहले डिवजीन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद, डिवीजन कार्यालय डब्ल्यूपीपी लाइसेंस जारी करने के लिए पूरे मामले को सर्कल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेगा। डाक खर्च के पूर्व भुगतान के बिना समाचार पत्र पोस्ट करने के लिए वैध लाइसेंस प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/ पोस्टमास्टर जनरल द्वारा जारी किया जाएगा।

क्रम सं.	आवेदन का प्रकार	दिनों की संख्या, जिसके भीतर डब्ल्यूपीपी लाइसेंस जारी किया जाए**
1.	नए डबल्यूपीपी लाइसेंस के लिए	डिवीजन कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने से लेकर सर्कल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लाइसेंस जारी करने तक 30 दिन।
2.	डबल्यूपीपी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए	डिवीजन कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने से लेकर सर्कल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लाइसेंस जारी करने तक 15 दिन।

\*\* बशर्ते सभी औपचारिकताएं समाचार पत्र के मालिक/प्रकाशक या प्रबंधक द्वारा विधिवत पूरी की गई हों और सक्षम प्राधिकारी को अद्यतन और वैध दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा किया गया हो।

## ये समय-सीमा असाधारण परिस्थितियों, जैसे पूरे भारत या देश के किसी भाग में महामारी, आपदा या "आकस्मिक परिस्थितियों" आदि के दौरान **लागू नहीं होगी।** 

4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सक्षम प्राधिकारी को उपरोक्त पैरा 3 में निर्धारित दिनों के भीतर पंजीकरण/नवीनीकरण/डब्ल्यूपीपी लाइसेंस हेतु आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना दी जाएगी। अस्वीकृति के मामले में, प्रकाशन के प्रकाशक/प्रबंधक को अस्वीकृति के कारण सहित सूचना दी जाए।

- 5. इन अनुदेशों से सभी संबंधित अधिकारियों तथा सर्कलों में पंजीकृत समाचार पत्रों के प्रकाशकों को अवगत कराया जाए।
- ये आदेश 01.07.2021 से लागू होंगे।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुकृति गुप्ता)

सहायक महाँनिदेशक (पीओ)

फोन: 011 23096005

ई-मेल: adgpo@indiapost.gov.in

प्रतिलिपि:

अंग्रेजी पाठ के अनुसार